XII 2020-21 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष के अप्रैल से मार्च (पहले जुलाई- जून) में परिवर्तित हो जाने के कारण वर्ष 2020-21 महत्वपूर्ण है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप लेखा वर्ष 2020-21 नौ महीने की अवधि अर्थात् जुलाई 2020 से मार्च 2021 का रहा। इस प्रकार, पिछले वर्ष/ वर्षों के बारह महीनों की तुलना में इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया डेटा 2020-21 के लिए नौ महीने की अवधि का है। तथापि, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के आकार में 6.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो मुख्यत: इसके चलनिधि एवं विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष में जहां आय में 10.96 प्रतिशत की गिरावट हुई वहीं व्यय में 63.10 प्रतिशत की कमी हुई। पिछले वर्ष के ₹57,127.53 करोड़ की तुलना में इस वर्ष समग्र अधिशेष ₹99,122 करोड़ रहा जो 73.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है । इससे मुख्यत: उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है । वर्ष 2020-21 (जुलाई-मार्च) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों (पैराग्राफों) में प्रस्तुत किए गए हैं ।

XII.2 तुलन पत्रके आकार में ₹3,72,876.43 करोड़ की वृद्धि हुई है अर्थात इसका आकार 30 जून 2020 के ₹53,34,792.70 करोड़ से 6.99 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹57,07,669.13 करोड़ हो गया। आस्ति पक्ष में वृद्धि का मुख्य कारण विदेशी और घरेलू निवेश में क्रमश: 11.48 प्रतिशत और 13.75 प्रतिशत की वृद्धि होना था । देयता पक्ष में हुई वृद्धि जमाराशियों, निर्गत नोटों, तथा अन्य देयताओं में क्रमश: 26.85 प्रतिशत, 7.26 प्रतिशत और 43.05 प्रतिशत बढ़ोतरी के कारण हुई । 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 26.42 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (स्वर्ण जमा एवं भारत में धारित स्वर्ण सहित) 73.58 प्रतिशत थीं, जबकि इसकी तुलना में 30 जून 2020 को ये क्रमशः 28.75 प्रतिशत और 71.25 प्रतिशत थीं ।

XII.3 ₹20,710.12 बिलियन का प्रावधान किया गया और इसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया । आस्ति विकास निधि (एडीएफ़) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया । आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय और केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति सारणी XII.1 में दी गई है ।

सारणी XII.1: आय, व्यय और निवल आय की प्रवृत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6
ए) आय	61,818.05	78,280.66	1,93,035.88	1,49,672.46	1,33,272.75
बी) कुल व्यय[1]	31,154.93[2]	28,276.66[3]	17,044.15[4]	92,540.93[5]	34,146.75[6]
सी) निवल आय (ए-बी)	30,663.12	50,004.00	1,75,991.73	57,131.53	99,126.00
डी) निधियों को अंतरण[7]	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ई) सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	30,659.12	50,000.00	1,75,987.73	57,127.53	99,122.00

टिप्पणी : 1. इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।
2. इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुषंगी आरईबीआईटी के लिए पूंजी अंशदान हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान और (सीएफ) में अंशदान हेतु ₹13.140 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
3. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹14,189.27 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
4. एडीएफ़ में अंतरण के लिए ₹ 63.60 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
5. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹73,615 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
6. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹1 करोड़ की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

वित्तीय विवरणों में 2020-21 से हुए परिवर्तन:

XII.4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढ़ांचे की समीक्षा के लिए 2018 में गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. विमल जालान) की अनुशंसा के आधार पर वर्तमान वर्ष 2020-21 से निम्नलिखित परिवर्तन प्रभाव में लाए गए हैं:

(ए) **लेखा वर्ष** : बैंक का लेखा वर्ष 'जुलाई - जून' से बदलकर 'अप्रैल - मार्च' हो गया है। संक्रमण वर्ष होने के कारण यह वर्ष नौ महीने (जुलाई 2020 - मार्च 2021) का है।

(बी) **जोखिम प्रावधान और पुनर्मूल्यन खाते की प्रस्तुति :** तुलन पत्र में 'अन्य देयताएं और प्रावधान' शीर्ष के तहत आने वाले जोखिम प्रावधान (आकस्मिक निधि (सीएफ़) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ)) और पुनर्मूल्यन खाते में शेष को अब तुलन पत्र के अलग शीर्षों में दिखाया गया है।

(सी) **तुलन पत्रशीर्ष - 'अन्य देयताएं और प्रावधान' :** इस नामावली को बदलकर 'अन्य देयताएं' कर दिया गया है।

XII.4.2 उपर्युक्त के अलावा, 2020-21 से निम्नलिखित बदलाव भी किए गए हैं :

(ए) वित्तीय विवरणों की **प्रस्तुति की इकाई** को 'बिलियन रुपये' से बदलकर 'करोड़ रुपये' कर दिया गया है।

(बी) **स्वर्ण सिक्के और बुलियन :** बैंकिंग विभाग (बीडी) की आस्ति के हिस्से 'स्वर्ण सिक्के और बुलियन' तथा निर्गम विभाग (आईडी) की आस्ति के हिस्से 'स्वर्ण सिक्के और बुलियन (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)' की नामावली को बदलकर क्रमश: 'स्वर्ण - बीडी' तथा 'स्वर्ण - आईडी' कर दिया गया है।

भारत सरकार ने 11 नवंबर 2020 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से उपर्युक्त बदलाव अधिसूचित किए हैं। साथ ही, उपर्युक्त XII. 4.1(बी) में दर्शाए गए बदलावों के कारण अनुसूचियों की संख्या में भी परिवर्तन हुआ है।

XII.5 वर्ष 2020-21 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय-विवरण, अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों संबंधी विवरण तथा लेखा-संबंधी समर्थक टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैं :

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवार्थ
भारत के राष्ट्रपति

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है), जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है, पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। संक्रमण का वर्ष होने के कारण यह वर्ष नौ महीने (1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021) का है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एवं उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में इसके परिचालनों के परिणाम के सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ("आरबीआई अधिनियम, 1934") के सभी आवश्यक प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यकलापों की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

दृष्टिकोण का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों ('एसए') के अनुरूप हमने यह लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है। लेखापरीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाओं के साथ तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत उल्लिखित प्रतीत होती हैं। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि यह अन्य जानकारी जानकारी तात्विक रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है।

इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कुछ भी हमें नहीं मिला है।

प्रबंधन के दायित्व एवं वित्तीय विवरणों का अभिशासन करने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों का अभिशासन करने वालों का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करें। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित भी शामिल हैं: पर्याप्त लेखापरीक्षा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो सच्चा व सही दृष्टिकोण दें और ठोस गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटि के कारण हो।

आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार, बैंक का परिसमापन केवल केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा और उसके द्वारा निदेशित किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक के वित्तीय विवरण तैयार करने का मूल आधार जहां आरबीआई अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों पर आधारित है, वहीं प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को अपनाया है जो एक कार्यशील संस्था के रूप में इसकी निरंतरता को दर्शाता है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की ज़िम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके अभिशासन का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से इस संबंध में आश्वस्त होना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा अपने अभिमत के साथ एक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन

है, किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखापरीक्षा के एक प्रतिभागी रूप में लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिसादी लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा पद्धति तैयार की जा सके लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन के आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह देखते हैं कि क्या लेखांकन नीतियां और जानकारी इसे कार्यशील संस्था के रूप में दर्शाती है और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या लेखांकन के आधार के उपयोग से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित दायरे, समयबद्धता और महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को एक वक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं, और उन सभी संबंधों और उन अन्य मामलों को सूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित प्रभाव डालते हों, एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

अन्य मामले

30 जून, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संयुक्त रूप से मेसर्स प्रकाश चंद्र एंड कंपनी तथा मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी, एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 14 अगस्त 2020 के जरिए संपन्न की और रिपोर्ट की, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रदान की गई और वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा के अपने कार्य के उद्देश्य हेतु जिस पर हमने भरोसा किया है। इस मामले में हमारी राय बदली नहीं है।

हम सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की बाईस लेखांकन इकाइयों का लेखा–जोखा शामिल है, जिनकी लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा-लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 002438सी)

कृते जी. एम. कपाड़िया एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 104767डबल्यू)

प्रतिभा शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन : 21400755एएएबीजी4540

अतुल साह
भागीदार
सदस्यता सं. 039569
यूडीआईएन : 21039569एएएएंचपी8880

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 मई 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	अनुसूची	2019-20	2020-21	आस्तियां	अनुसूची	2019-20	2020-21
पूंजी		5.00	5.00	**बैंकिंग विभाग की आस्तियां (बैंवि)**			
आरक्षित निधि		6,500.00	6,500.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	6	12.59	12.02
अन्य आरक्षित निधि	1	232.00	234.00	स्वर्ण - बैंकिंग विभाग	7	1,42,874.67	1,43,582.87
जमाराशियाँ	2	11,75,859.89	14,91,537.70	निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	8	10,23,399.50	12,29,940.41
जोखिम प्रावधान				निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	9	11,72,027.28	13,33,173.90
आकस्मिकता निधि		2,64,033.94	2,84,542.12	खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
आस्ति विकास निधि		22,874.68	22,874.68	ऋण और अग्रिम	10	3,22,207.95	1,35,118.91
पुनर्मूल्यन लेखा	3	11,24,390.72	9,24,454.99	सहयोगी संस्थाओं में निवेश	11	1,963.60	1,963.60
अन्य देयताएं	4	1,05,321.81	1,50,657.97	अन्य आस्तियां	12	36,732.45	37,014.75
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग की आस्तियां - निवि (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)**			
जारी किए गए नोट	5	26,35,574.66	28,26,862.67	स्वर्ण- निवि	7	1,13,145.92	1,04,140.13
				रुपये सिक्के		784.83	743.40
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	8	25,21,643.91	27,21,979.14
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	9	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
						26,35,574.66	**28,26,862.67**
	कुल देयताएं	**53,34,792.70**	**57,07,669.13**		**कुल आस्तियां**	**53,34,792.70**	**57,07,669.13**

चारुलता एस.कर	टी.रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	एम.डी.पात्र	एम.के.जैन	शक्तिकांत दास
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	अनुसूची	2019-20	2020-21
ब्याज	13	1,09,333.40	69,057.09
अन्य	14	40,339.06	64,215.66
कुल		**1,49,672.46**	**1,33,272.75**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		4,377.84	4,012.09
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		87.19	54.80
एजेंसी प्रभार	15	3,876.08	3,280.06
कर्मचारी लागत		8,928.06	4,788.03
ब्याज		1.34	1.10
डाक और संचार प्रभार		116.74	105.46
मुद्रण और लेखन-सामग्री		20.03	17.00
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		136.39	122.24
मरम्मत और रखरखाव		87.72	76.49
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		2.02	0.36
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		6.00	4.90
विधिक प्रभार		9.22	8.57
मूल्यह्रास		206.11	200.09
विविध व्यय		1,071.19	765.44
प्रावधान		73,615.00	20,710.12
कुल		**92,540.93**	**34,146.75**
उपलब्ध शेष राशि		**57,131.53**	**99,126.00**
घटाएं:			
ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
बी) नाबार्ड को अंतरणयोग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि [1]		1.00	1.00
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि [1]		1.00	1.00
सी) अन्य			
केंद्र सरकार को देय अधिशेष		**57,127.53**	**99,122.00**

1. *ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।*

चारुलता एस.कर	टी.रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	एम.डी.पात्र	एम.के.जैन	शक्तिकांत दास
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21
अनुसूची 1 :	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	29.00	30.00
	ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	203.00	204.00
	कुल	**232.00**	**234.00**
अनुसूची 2 :	**जमाराशियां**		
	(ए) सरकार		
	i) केंद्र सरकार	100.27	5,000.15
	ii) राज्य सरकारें	42.48	42.48
	उप जोड़	***142.75***	***5,042.63***
	(बी) बैंक		
	i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4,37,616.68	6,51,748.12
	ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	5,207.87	8,893.19
	iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	7,138.21	9,848.31
	iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	2,472.18	4,560.21
	v) अन्य बैंक	18,413.73	23,817.12
	उप जोड़	***4,70,848.67***	**6,98,866.95**
	(सी) भारत से बाहर के वित्तीय संस्थान		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	0.00	9,038.44
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	120.51
	उप जोड़	***0.00***	***9,158.95***
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाते के प्रशासक	4,549.26	4,302.70
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि	33,114.46	39,264.25
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	1,680.01	1,226.67
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	2,347.06	1,439.68
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	351.39	522.50
	(vi) म्यूचुअल फंड	1.35	1.35
	(vii) अन्य	6,62,824.94	7,31,712.02
	उप जोड़	***7,04,868.47***	***7,78,469.17***
	कुल	**11,75,859.89**	**14,91,537.70**
अनुसूची 3 :	**पुनर्मूल्यन लेखा**		
	(i) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	9,77,141.23	8,58,877.53
	(ii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां(आईआरए-एफएस)	53,833.99	8,853.67
	(iii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	93,415.50	56,723.79
	(iv) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	0.00	0.00
	कुल	**11,24,390.72**	**9,24,454.99**
अनुसूची 4 :	**अन्य देयताएं**		
	(i) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	5,925.41	6,127.35
	(ii) देयराशियों के लिए प्रावधान	2,599.61	3,240.73
	(iii) उपदान और अधिवर्षिता निधि	25,639.39	28,497.67
	(iv) भारत सरकार को देय अधिशेष	57,127.53	99,122.00
	(v) देय बिल	2.46	4.36
	(vi) विविध	14,027.41	13,665.86
	कुल	**1,05,321.81**	**1,50,657.97**
अनुसूची 5 :	**जारी नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	12.52	11.98
	(ii) संचलन में नोट	26,35,562.14	28,26,850.69
	कुल	**26,35,574.66**	**28,26,862.67**

		2019-20	2020-21
अनुसूची 6 :	**नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैंक के पास)**		
	(i) नोट	12.52	11.98
	(ii) रुपये सिक्के	0.06	0.03
	(iii) छोटे सिक्के	0.01	0.01
	कुल	**12.59**	**12.02**
अनुसूची 7:	**स्वर्ण**		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण	1,39,376.67	1,43,582.87
	(ii) जमा स्वर्ण	3,498.00	0.00
	उप जोड़	***1,42,874.67***	***1,43,582.87***
	(बी) निर्गम विभाग	1,13,145.92	1,04,140.13
	कुल	**2,56,020.59**	**2,47,723.00**
अनुसूची 8:	**निवेश-विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	10,23,399.50	12,29,940.41
	(ii) निवेश-विदेशी - निर्गम विभाग	25,21,643.91	27,21,979.14
	कुल	**35,45,043.41**	**39,51,919.55**
अनुसूची 9:	**निवेश घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	11,72,027.28	13,33,173.90
	(ii) निवेश-घरेलू - निर्गम विभाग	0.00	0.00
	कुल	**11,72,027.28**	**13,33,173.90**
अनुसूची 10:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) केंद्र सरकार	0.00	0.00
	(ii) राज्य सरकार	4,624.47	3,382.79
	उप जोड़	***4,624.47***	***3,382.79***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	2,85,576.86	90,252.18
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	22,123.19	25,425.56
	(vi) अन्य	9,883.43	6,905.32
	उप जोड़	***3,17,583.48***	***1,22,583.06***
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिपो उधार- विदेशी	0.00	9,129.72
	(ii) रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	23.34
	उप जोड़	***0.00***	***9,153.06***
	कुल	**3,22,207.95**	**1,35,118.91**
अनुसूची 11:	**सहयोगी संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	30.00	30.00
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	33.60	33.60
	कुल	**1,963.60**	**1,963.60**

		2019-20	2020-21
अनुसूची 12:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	815.60	923.46
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	34,535.74	34,643.53
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	*347.32*	*355.37*
	बी. अन्य मदों पर	*34,188.42*	*34,288.16*
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)	0.00	0.00
	(v) विविध	1,381.11	1,447.76
	कुल	**36,732.45**	**37,014.75**
अनुसूची 13:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	70,303.70	59,824.79
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-13,052.75	-17,957.86
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	148.75	12.38
	(iv) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	3,557.17	1,709.00
	उप जोड़	***60,956.87***	***43,588.31***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	33,025.03	23,059.63
	(ii) रिपो /रिवर्स रिपो लेन-देन पर निवल ब्याज	9.41	9.83
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	15,342.09	2,399.32
	उप जोड़	**48,376.53**	***25,468.78***
	कुल	**1,09,333.40**	**69,057.09**
अनुसूची 14:	**आय- अन्य**		
	(ए) **घरेलू स्रोत**		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	734.57	964.16
	(iii) कमीशन	2,431.24	2,073.97
	(iv) प्राप्त किराया	8.63	5.19
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	1,252.43	5,193.94
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यह्रास	-9.38	-8.12
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	1,680.95	846.48
	(viii) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	1.39	1.38
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	248.74	-108.38
	उप जोड़	***6,348.57***	***8,968.62***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-2,741.55	-6,715.95
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	6,738.82	11,348.84
	(iii) विदेशी मुद्रा कारोबार से प्राप्त विनिमय पर लाभ/हानि	29,993.22	50,629.18
	(iv) विविध आय	0.00	-15.03
	उप जोड़	***33,990.49***	***55,247.04***
	कुल	**40,339.06**	**64,215.66**
अनुसूची15:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	3,787.55	2,611.05
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	60.90	642.95
	(iii) विविध (राहत /बचत बॉन्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया टर्नओवर प्रभार)	6.26	6.30
	(iv) बाहरी आस्ति-प्रबंधकों, अभिरक्षकों, ब्रोकर आदि को अदा किया गया शुल्क	21.37	19.76
	कुल	**3,876.08**	**3,280.06**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य "बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।"

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

ए) बैंक नोट का निर्गम एवं सिक्कों का संचलन

बी) मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करना।

सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।

ई) विदेशी मुद्रा का प्रबंध कर्ता।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।

जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।

आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाएगा और निर्गम विभाग की आस्तियाँ निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। आरबीआई अधिनियम, 1934 की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा उस समय संचलनगत बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 कन्वेंशन

वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां पुनर्मूल्यांकन और/या परिशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.2 राजस्व मान्यता

ए) आय और व्यय को बैंकों से लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को छोड़कर उपचय के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसका हिसाब तभी दिया जाता है जब वसूली की निश्चितता हो। शेयरों पर लाभांश आय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

बी) ड्राफ्ट देय खाते, भुगतान आदेश खाता, विविध जमा खाता- विविध, प्रेषण निकासी खाता, बयाना राशि जमा खाता और सुरक्षा जमा खाते सहित कुछ ट्रांजिट खातों में तीन से अधिक स्पष्ट लगातार लेखांकन वर्षों के लिए बकाया और बकाया राशि की समीक्षा की जाती है और वापस लिखा जाता है, आय के लिए। दावे, यदि कोई हों,

पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय के विरुद्ध अधिरोपित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय सप्ताह/ माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन , जैसा लागू हो , पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

डी) विदेशी मुद्राओं और सोने की बिक्री पर विनिमय लाभ/हानि को लागत निकालने के लिए भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

2.3 स्वर्ण और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और देयताएं

सोने और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) सोना

सोने (स्वर्ण जमा सहित) का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक सप्ताह और महीने के अंतिम कारोबारी दिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) के अमेरिकी डॉलर में सोने की कीमत के नब्बे (90) प्रतिशत और मूल्यांकन दिनों में रुपया-अमेरिकी डॉलर बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यांकन लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाते (सीजीआरए) में शामिल किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और देयताएं

Aविदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह/माह के आखिरी कारोबारी दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं । विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है ।

विदेशी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल (टी-बिल), वाणिज्यिक पत्र और कुछ ' परिपक्वता के लिए धारित' प्रतिभूतियों के अलावा (जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में निवेश और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यूके द्वारा जारी बांड जो मूल्य पर मूल्यांकित हैं) प्रत्येक सप्ताह और महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार मार्क-टू-मार्केट होते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता - विदेशी प्रतिभूति' (आईआरए-एफएस) में दर्ज किए जाते हैं। आईआरए-एफ़एस में क्रेडिट शेष को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। आईआरए-एफ़एस में वर्ष के अंत में डेबिट शेष, यदि कोई हो, आकस्मिकता निधि (सीएफ़) से वसूल किया जाता है और उसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस कर दिया जाता है।

विदेशी टी-बिल और वाणिज्यिक पत्रों को छूट/प्रीमियम के परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या छूट का दैनिक परिशोधन किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को बही मूल्य के संबंध में मान्यता दी जाती है। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर, आईआरए-एफएस में पड़ी बेची गई/रिडीम की गई प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन लाभ/हानि को आय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

सी) फॉरवर्ड / स्वैप अनुबंध

बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है । जिसमें, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदाओं पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है । अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए

और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि की प्रतिप्रविष्टि कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

एफसीवीए में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, बैलेंस शीट की तारीख पर, सीएफ से चार्ज किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि वायदा अनुबंधों के मूल्यांकन पर क्रमशः निवल अप्राप्त लाभ और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप, जो रिपो के रूप में होती है, भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है। अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जबकि एफसीवीए 'पुनर्मूल्यांकन खातों' का हिस्सा है, पीएफसीवीए 'अन्य देनदारियों' का हिस्सा है और आरएफसीए और एसएए 'अन्य परिसंपत्तियों' का हिस्सा हैं।

डी) पुनर्खरीद लेनदेन

रिज़र्व बैंक रिज़र्व प्रबंधन परिचालन के भाग के रूप में विदेशी पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो और रिवर्स रेपो) में भाग लेता है। रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार के रूप में माना जाता है और 'जमा' के तहत दिखाया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार के रूप में माना जाता है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है।

ई) ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) में लेनदेन

रिजर्व प्रबंधन परिचालन के तहत किए गए आईआरएफ लेनदेन दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट होते हैं और परिणामी लाभ / हानि आय खाते में दर्ज किए जाते हैं।

2.4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में लेनदेन

बैंक द्वारा अपने हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में किए गए ईटीसीडी लेनदेन दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट होते हैं और परिणामी लाभ / हानि आय खाते में दर्ज की जाती है।

2.5 घरेलू निवेश

ए) रुपये की प्रतिभूतियां और तेल बांड (डी) में उल्लिखित को छोड़कर प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन के रूप में मार्क-टू-मार्केट हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूतियां' (आईआरए-आरएस) में शामिल किया गया है। आईआरए-आरएस में क्रेडिट बैलेंस को अगले लेखा वर्ष में आगे बढ़ाया जाता है। आईआरए-आरएस में वर्ष के अंत में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, को सीएफ़ से चार्ज किया जाता है और इसे अगले अकाउंटिंग वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। रुपये की प्रतिभूतियों/तेल बांडों की बिक्री/मोचन पर, रुपये की प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन लाभ/हानि और आईआरए-आरएस में पड़े बेचे गए/रिडीम किए गए तेल बांड आय खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रुपया प्रतिभूतियां और तेल बांड भी दैनिक परिशोधन के अधीन हैं।

बी) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सी) अनुषंगियों के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

डी) विभिन्न स्टाफ फंडों (जैसे ग्रेच्युटी और सुपरएनुएशन, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल असिस्टेंस फंड) और डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) के लिए निर्धारित तेल बांड और रुपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता के लिए धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधन लागत पर धारित किया जाता है।

ई) घरेलू निवेश में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है। .

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रेपो/रिवर्स रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के तहत रेपो लेनदेन को उधार के रूप में माना जाता है और तदनुसार 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेन को जमा के रूप में माना जाता है और 'जमा-अन्य' के तहत दिखाया जाता है।

2.7 अचल संपत्ति

ए) अचल संपत्तियों को कला और पेंटिंग और फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर लागत कम मूल्यह्रास पर बताया गया है जो लागत पर रखी गई है।

बी) वर्ष के दौरान (01 जुलाई से 31 मार्च तक) अर्जित और पूंजीकृत भूमि और भवनों के अलावा अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना पूंजीकरण के महीने से मासिक आनुपातिक आधार पर की जाएगी और छमाही आधार पर लागू आस्तियों के उपयोगी जीवन काल के आधार पर निर्धारित दरों पर।

सी) निम्नलिखित अचल संपत्तियों (₹1 लाख से अधिक की लागत) पर मूल्यह्रास निम्नलिखित तरीके से एक संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है :

आस्ति श्रेणी	उपयोगी जीवन मूल्यह्रास की दर
बिजली के उपकरण, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, जुड़नार, सीवीपीएस/एसबीएस मशीनें इत्यादि।	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कम्प्यूटर, सर्वर, माइक्रोप्रोसेसर, प्रिंटर्स, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

डी) ₹1 लाख तक की अचल संपत्ति (लैपटॉप/ई-बुक रीडर जैसी आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय के लिए शुल्क लिया जाता है। आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्ति, जैसे लैपटॉप, आदि, जिनकी कीमत ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर लागू दर पर की जाती है।

ई) ₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग-अलग मदों को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर लागू दरों पर की जाती है।

एफ) मासिक यथानुपात आधार पर अचल संपत्तियों की छमाही के अंत में शेष राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। भूमि और भवन के अलावा अन्य संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के मामले में, ऐसी संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के महीने सहित मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

(जी) बाद के खर्च पर मूल्यह्रास:

i. एक मौजूदा अचल संपत्ति पर किए गए बाद के व्यय को खातों की किताबों में पूरी तरह से मूल्यह्रास नहीं किया गया है, मूल संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है ;

ii. मौजूदा अचल संपत्ति के आधुनिकीकरण/अतिरिक्त/ओवरहालिंग पर किए गए बाद के खर्च, जिनका पहले से ही खातों की किताबों में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें व्यय किया जाता है।

(एच) भूमि एवं भवन : भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियाँ माना जाता है और इसीलिए इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

i. सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष माना जाता है और इन पर मूल्यह्रास तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।

ii. भवनों को हुई क्षति : क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए. ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/ जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा : ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यह्रास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

बी. जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/ जिन्हें खाली कर दिया गया है : ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा स्क्रैप मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) को दर्ज किया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने वाले मूल्य (निवल बिक्री मूल्य) / स्क्रैप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

ए) बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में आय खाते में प्रभारित किया जाता है।

बी) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'अनुमानित इकाई क्रेडिट' प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है। .

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.6 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.6.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹5 करोड़ थी। रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹5 करोड़ बनी हुई है।

XII.6.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹6,495 करोड़ की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹6,500 करोड़ हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'पुनर्मूल्यन खाता' की मद का एक हिस्सा है।

XII.6.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) *राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46सी के अनुसार ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹30 करोड़ थी।

बी) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹50 करोड़ की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष सिर्फ ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹204 करोड़ की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष ₹1 करोड़ की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.6.4 जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

कुल जमाराशि में 26.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2020 के ₹ 11,75,859.89 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को ₹14,91,537.70 करोड़ हो गयी। .

ए. जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2020 के ₹100.27 करोड़ और ₹42.48 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमश: ₹5000.15 करोड़ और ₹42.48 करोड़ थीं। केंद्र सरकार की जमा राशि में वृद्धि 31 मार्च को उनके खातों में उच्च न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता के कारण हुई है।

बी. जमाराशियां - बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 48.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2020 के ₹ 4,70,848.67 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को ₹6,98,866.95 करोड़ हो गयी। इस शीर्ष में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से सीआरआर की बहाली के कारण हुई है, बैंकों को 30 जून, 2020 को एनडीटीएल के 3.0 प्रतिशत की सीआरआर आवश्यकता की तुलना में मार्च 2021 के अंत में एनडीटीएल के 3.5 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता थी।

सी. जमाराशियां – भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं

भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित जमाराशियां 30 जून 2020 को 'शून्य' के मुक़ाबले 31 मार्च 2021 को ₹ 9,158.95 करोड़ थीं।

डी. जमाराशियां - अन्य

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां आदि शामिल होती हैं। 'जमाराशियां-अन्य' जो कि 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹7,04,868,.47 करोड़ थी, इसमें 10.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2021 को ₹7,78,469.17 करोड़ हो गयी जिसका प्रमुख कारण रिज़र्व बैंक के पास रिवर्स रिपो जमा में हुई वृद्धि थी।

XII.6.5 जोखिम प्रावधान

रिज़र्व बैंक के दो जोखिम प्रावधान है अर्थात, आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ)। इन निधियों के लिए किए गए प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार किए गए हैं। उनके विवरण निम्नानुसार हैं :

ए. आकस्मिक निधि (सीएफ)

इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा रिज़र्व बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम शामिल हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, एफसीवीए के नामे शेष के कारण सीएफ पर ₹6,127.35 करोड़ का प्रभार लगाया गया। अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर सीएफ का प्रभार प्रत्यावर्तित किया गया। इसके अलावा, सीएफ के लिए ₹20,710.12 करोड़ मुहैया कराया गया। तदनुसार, 30 जून 2020 के ₹2,64,033.94 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को सीएफ शेष राशि ₹2,84,542.12 करोड़ थी।

बी. आस्ति विकास निधि (एडीएफ)

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाई गई और उसकी शेष राशि उस तारीख तक विशेष रूप से अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाती है। वर्ष 2020-21 में एडीएफ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। अत: 31 मार्च 2021 को एडीएफ की शेष राशि ₹22,874.68 करोड़ बनी रही (सारणी XII.2)।

सारणी XII.2 : जोखिम प्रावधानों में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

स्थिति	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	कुल	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
30 जून 2017	2,28,206.53#	22,811.08	2,51,017.61	7.6
30 जून 2018	2,32,107.76@	22,811.08	2,54,918.84	7.05
30 जून 2019	1,96,344.35$	22,874.68	2,19,219.03	5.34
30 जून 2020	2,64,033.94*	22,874.68	2,86,908.62	5.38
31 मार्च 2021	2,84,542.12^	22,874.68	3,07,416.80	5.39

#: 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹13,139.62 करोड़ के प्रावधान और आईआरएस एवं एफ़सीवीए के ₹6,585.55 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

@: 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹14,189.27 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफ़एस के ₹16,873.59 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

$: 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार सीएफ में आयी गिरावट ₹52,637 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन किए जाने के कारण है।

**: 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹73,615 करोड़ के प्रावधान और एफ़सीवीए के ₹5,925.41 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।*

^:31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹20,710.12 करोड़ के प्रावधान और एफ़सीवीए के ₹6,127.35 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

XII.6.6 पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्यों लाभ/हानि को पुनर्मूल्यन शीर्ष अर्थात मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता(एफसीवीए) में अंकित किया जाता है। उनके विवरण निम्नानुसार हैं::

ए. *मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)*

रिज़र्व बैंक के समक्ष आए बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव । विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है । इसीलिए, सीजीआरए में निवल शेष आस्ति आधार के आकार, इसके मूल्यन और विनिमय दरों तथा स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के साथ परिवर्तन होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर / स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के लिए एक बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता है, या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है, तो इस पर दबाव आ सकता है। यदि विनिमय घाटे को पूरा करने के लिए सीजीआरए पर्याप्त नहीं होता, तो इसकी भरपायी आकस्मिकता निधि से की जाती है। 2020-21 के दौरान, सीजीआरए शेष में 30 जून 2020 के ₹9,77,141.23 करोड़ से गिरकर 31 मार्च 2021 को ₹8,58,877.53 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण रुपये की मूल्यवृद्धि तथा स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट है ।.

बी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां(आईआरए-एफ़एस)*

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक सप्ताह और माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों (एमटीएम) के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में अंतरित किया जाता है । 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार आईआरए-एफएस की शेष राशि ₹53,833.99 करोड़ से गिरकर 31 मार्च 2021 को ₹8,853.67 करोड़ हो गयी ।

सी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता – रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)*

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और ऑयल बॉन्डों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत यथा उल्लिखित अपवाद सहित) का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश आईआरए-आरएस में दर्ज किया जाता है । आईआरए-आरएस में शेष राशि 30 जून 2020 के ₹93,415.50 करोड़ से गिरकर 31 मार्च 2021 को ₹56,723.79 करोड़ हो गयी क्योंकि इस वर्ष के दौरान रुपये की प्रतिभूतियों की बिक्री और प्रतिफल वक्र के लंबे सिरे पर प्रतिफल के कम होने के कारण वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा धारित कुछ प्रतिभूतियों पर एमटीएम हानि हुई।

डी. *विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए)*

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन करने पर निवल ₹6,127.35 करोड़ की अप्राप्त हानि हुई जिसे एफसीवीए में नामे डालते हुए इसकी प्रतिप्रविष्टि पीएफसीवीए में जमा करके की गयी । वर्तमान नीति के अनुसार, 31 मार्च 2021 को एफसीवीए के ₹6,127.35 करोड़ नामे शेष को सीएफ में समायोजित किया गया और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित किया गया । तदनुसार, 31 मार्च 2021 को एफसीवीए की शेष राशि शून्य थी।

XII.6.7 अन्य देयताएं

'अन्य देयताएं' 30 जून, 2020 को ₹1,05,321.81 करोड़ से 43.05 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2021 को ₹1,50,657.97 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से भारत सरकार को देय अधिशेष में वृद्धि के कारण है।

i. वायदा संविदा मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) हेतु प्रावधान

बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन करने पर हुई निवल हानि ऊपर बताए गए अनुसार पीएफसीवीए में

सारणी XII.3: सीजीआरए, एफ़सीवीए, पीएफ़सीवीए, आईआरए-एफ़एस और आईआरए-आरएस में शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

स्थिति	सीजीआरए	एफसीवीए	पीएफसीवीए	आईआरए-एफएस	आईआरए–आरएस
1	2	3	4	5	6
30 जून 2017	5,29,944.69	0.00	2,963.11	0.00	57,089.90
30 जून 2018	6,91,640.97	3,261.92	0.00	0.00	13,285.22
30 जून 2019	6,64,479.74	1,303.96	0.00	15,734.96	49,476.26
30 जून 2020	9,77,141.23	0.00	5,925.41	53,833.99	93,415.50
31 मार्च 2021	8,58,877.53	0.00	6,127.35	8,853.67	56,723.79

क्रेडिट की गयी। 30 जून 2020 के ₹5,925.41 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पीएफसीवीए की शेष राशि ₹6,127.35 करोड़ थी।

पिछले पाँच वर्षों के लिए पुनर्मुल्यन खाते तथा वायदा संविदा मूल्यन खाते(पीएफसीवीए) में शेष राशि की स्थिति सारणी XII.3 में दी गई है।

ii. देय राशि के लिए किए गए प्रावधान

इस मद के तहत, किए गए खर्च जिसकी अदायगी न की गयी हो और अग्रिम के रूप में प्राप्त/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2020 के ₹2,599.61 करोड़ से 24.66 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 में ₹3,240.73 करोड़ हो गई।

iii. केंद्र सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद रिज़र्व बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अतिकर का भुगतान नहीं करना है। तदनुसार, व्यय समायोजित करने के बाद सीएफ के लिए प्रावधान तथा चार सांविधिक निधियों को ₹4 करोड़ के अंशदान के बाद 2020-21 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹99,122 करोड़ है (इसमें पिछले वर्ष के ₹632.17 करोड़ की तुलना में ₹493.92 करोड़ शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर भारत सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)।

iv. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्टों (डीडी) और भुगतान आदेशों (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद के अतर्गत शेष बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाता है। इस मद के अंतर्गत बकाया राशि 30 जून 2020 की ₹2.46 करोड़ की स्थिति से बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹4.36 करोड़ हो गयी।

v. विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण के कारण देय राशियां, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹14,027.41 करोड़ थी जो घटकर 31 मार्च 2021 को ₹13,665.86 करोड़ हो गयी।

XII.6.8 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताओं से संचलनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। 'जारी किए गए नोटों' की संख्या 30 जून 2020 को ₹ 26,35,574.66 करोड़ थी जो 31 मार्च 2021 को 7.26 प्रतिशत बढ़कर ₹ 28,26,862.67 करोड़ हो गई। यह वृद्धि जनसाधारण की लेन-देन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में बैंक नोट उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनवरत किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी। साथ ही, 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य को दर्शाने वाली ₹ 10,719.37 करोड़ की राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था, उसे 'अन्य देयताएं' में अंतरित कर दिया गया। दिनांक 12 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पात्र नोट प्रस्तुतकर्ताओं को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय मूल्य के रूप में ₹2.68 करोड़ की राशि की अदायगी की।

XII.7 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.7.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) **नोट, रुपया सिक्काऔर छोटा सिक्का**

इस शीर्ष में रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग की तिजोरियों में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों के शेष को दर्शाया गया है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹12.02 करोड़ थी, जबकि 30 जून 2020 को यह शेष राशि ₹12.59 करोड़ थी।

ii) **स्वर्ण – बैंकिंग विभाग (बीडी)**

रिज़र्व बैंक के पास 30 जून 2020 के 661.41 मेट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2021 को 695.31 मेट्रिक टन स्वर्ण है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान 33.90 मेट्रिक टन अतिरिक्त स्वर्ण शामिल करने के कारण हुई है।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार उक्त 695.31 मेट्रिक टन में से 292.30 मेट्रिक टन जारी किए गए नोटों के समर्थन में धारित किया गयाहै और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया गया है। 30 जून 2020 के शेष 369.11 मेट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2021 को धारित 403.01 मेट्रिक टन स्वर्ण बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाता है (सारणी XII.4)। वर्ष के दौरान 33.90 मेट्रिक टन सोने के जुड़ने के कारण बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2020 के ₹1,42,874.67 करोड़ से 0.50 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹1,43,582.87 करोड़ हो गया।

iii) **खरीदे और भुनाए गए बिल**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है, किन्तु वर्ष 2020-21 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरुप, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की बहियों में में इस प्रकार की कोई आस्ति नहीं है।

iv) **निवेश - विदेशी - बैंकिंग विभाग (बीडी)**

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

सारणी XII.4: स्वर्ण की वास्तविक धारिता

	30 जून 2020 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
	मात्रा मीट्रिक टन में	मात्रा मीट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोटों को समर्थन हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.30	292.30
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	369.11	403.01
कुल	**661.41**	**695.31**

(बीआईएस) में जमाराशियाँ (iii) विदेशों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियाँ (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं।

एफ़सीए को तुलन-पत्र में दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है : (ए) 'निवेश-विदेशी -बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है तथा (बी) 'निवेश-विदेशी-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्तिके रूप में दर्शाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार निवेश-विदेशी-आईडी वे पात्र एफसीए हैंजिनका उपयोग जारी नोटों के समर्थन के लिए किया जाता है। एफसीएके शेष से 'निवेश-विदेश-बीडी' तैयार होता है।

पिछले दो वर्षों के एफसीए की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

v) **निवेश – घरेलू - बैंकिंग विभाग (बीडी)**

निवेशों में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, राज्य विकास ऋण, खजाना बिल और विशेष ऑयल बॉण्डशामिल हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित घरेलू प्रतिभूतियां, जो कि 30 जून 2020 को ₹11,72,027.28 करोड़ थी, वे 13.75 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹13,33,173.90 करोड़ हो गई। यह वृद्धि ₹1,92,821 करोड़(अंकित मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियों की निवल खरीद के माध्यम से किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के कारण हुई थी।

निवेश – घरेलू - बीडी के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में किए गए वर्णनके अनुसार विविध स्टाफ निधियों तथा डीईए निधि के लिए भी रखा गया है। 31 मार्च 2021 के अनुसार ₹75,776 करोड़ (अंकित मूल्य) को स्टाफ निधि तथा डीईए निधि, दोनों को मिलाकर, के लिए रखा गया है।

सारणी XII.5: विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	30 जून 2020	31 मार्च 2021
1	2	3
I निवेश-विदेश-बीडी*	10,23,399.50	12,29,940.41
II निवेश-विदेश-आईडी	25,21,643.91	27,21,979.14
कुल	**35,45,043.41**	**39,51,919.55**

* : इसमें और 30 जून 2020 के ₹11,211.13 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹11,555.96 करोड़ पर मूल्यांकित भारत सरकार से अंतरित बीआईएस और स्विफ्ट तथा एसडीआर के शेयर शामिल है।

टिप्पणियां:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। 01 जनवरी 2021 से आईएमएफ के एनएबी का आकार दोगुना हुआ है। एनएबी के तहत भारत की एसडीआर प्रतिबद्धता 8.88 बिलियन (₹ 92,015.21 करोड़/यूएस$12.58 बिलियन) है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एनएबी के तहत एसडीआर 0.13 बिलियन (₹1316.32 करोड़/यूएस$ 0.18 बिलियन) राशि का निवेश किया गया है।
2. आरबीआई, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉन्डों में राशि, जो कुल यूएस$5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹36,559 करोड़) से अधिक नहीं होगी, के निवेश के लिए सहमत हो गया है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉन्डों में यूएस$ 1.86 बिलियन (₹ 13,621.79 करोड़) का निवेश किया है।
3. वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में किया जाएगा। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास एसडीआर 1.05 बिलियन (₹10,847.81 करोड़/यूए$ 1.48 बिलियन) की धारिता थी।
4. रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के तहत सार्क सदस्य देशों के क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में मिलाकर यूएस $2 बिलियन तक की राशि की पेशकश करने पर सहमति दर्शाई है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भूटान और मालदीव के साथ क्रमशः यूएस$ 0.20 बिलियन (₹1,454.19 करोड़)और यूएस$ 0.25 बिलियन (₹1,827.92 करोड़) स्वैप बकाया है।
5. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पुनर्खरीद और आईआरएफ लेनदेन में जमानत और मार्जिन के रूप में तैनात विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹9,171.35 करोड़ रुपये / यूएस$1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन के तहत प्राप्त नाममात्र मूल्य ₹8,688.75 करोड़ रुपये / यूएस$1.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

vi) **ऋण और अग्रिम**

ए) *केंद्र सरकार और राज्य सरकारें*

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) तथा ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में केंद्र सरकार को प्रदान किए जाते हैं और डब्ल्यूएमए, ओडी तथा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के रूप में राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में डब्ल्यूएमए सीमाएं भारत सरकार से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। 30 जून 2020 तथा 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के पास कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे चूंकि केंद्र सरकार इन दोनों दिनों में अधिशेष में थी, जबकि राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 30 जून 2020 के ₹4,624.47 करोड़ की तुलना में 26.85 प्रतिशत कम होकर 31 मार्च 2021 को ₹3,382.79 करोड़ हो गए।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को दिए गए ऋण और अग्रिम*

- *वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम* : इसमें मुख्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंकों के लिए विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत रिपो के प्रति बकाया राशि इनमें शामिल हैं। यह बकाया राशि 30 जून 2020 की ₹ 2,85,576.86 करोड़ से कम होकर 31 मार्च 2021 को ₹90,252.18 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण था- वर्ष (जुलाई 2020 से मार्च 2021) के दौरान बैंकों द्वारा दीर्घावधि रिपो परिचालनों (एलटीआरओ), लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) 1.0 तथा टीएलटीआरओ 2.0 की चुकौती।

- *नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:*

  भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4ई) के तहत रिज़र्व बैंक नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2020 के ₹22,123.19 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹25,425.56 करोड़ हो गयी।

- *अन्य को ऋण और अग्रिम:*

  इस मद के तहत मौजूद शेष राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम तथा प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता को दर्शाता है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2020 की ₹9,883.43 करोड़ से 30.13 प्रतिशत कम होकर 31 मार्च 2021 को ₹6,905.32 करोड़ हो गई, जिसका प्रमुख कारण एनएचबी को दिए गए ऋण और अग्रिम में कमी थी।

सी) *भारत से बाहर स्थित वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम*

इस शीर्ष के अंतर्गत शेषराशि 31 मार्च 2021 को ₹9,153.06 करोड़ थी जबकि 30 जून 2020 को यह शून्य थी।

vii) **अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में निवेश**

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की अपनी अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में कुल धारिता पिछले वर्ष के समान ₹1,963.60 करोड़ थी। इसका विवरण सारणी XII.6 में दिया गया है।

सारणी XII.6: 2020-21 में अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में धारिताएं

अनुषंगी/सहायक संस्थाएं		राशि (₹ करोड़)	31 मार्च 2021 तक प्रतिशत धारिता
1		2	3
ए)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	100
बी)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	100
सी)	भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा) लि. (आरईबीआईटी)	50.00	100
डी)	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	30.00	30
ई)	भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	33.60	100
कुल		**1,963.60**	

viii) **अन्य आस्तियां**

'अन्य आस्तियों' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास का निवल), उपचित आय, (ए) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए) (बी) वायदा संविदा का पुनर्मूल्यन खाता (आरएफसीए) में धारित शेष तथा विविध आस्तियां शामिल होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किए गए व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि आदि शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' के तहत बकाया राशि 30 जून 2020 के ₹36,732.45 करोड़ से 0.77 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹37,014.75 करोड़ हो गयी।

ए. *स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)*

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एसएए में बकाया शेष शून्य है क्योंकि ऑफ मार्केट दर पर रिपो के स्वरूप की कोई भी स्वैप संविदाएं बकाया नहीं थीं।

बी. *वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)*

आरएफसीए शेष 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार शून्य था।

XII.7.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण, रुपया सिक्का, निवेश-विदेशी आईडी, भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय बिल शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 695.31 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.30 मीट्रिक टन 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान के लिए रखा गया है (सारणी XII.4)। जारी किए गए नोटों को समर्थन देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2020 को ₹1,13,145.92 करोड़ था, जो 7.96 प्रतिशत कम होकर 31 मार्च 2021 को ₹1,04,140.13 करोड़ हो गया। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को समर्थन देने के लिए धारित निवेश-विदेशी-आईडी जो 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹25,21,643.91 करोड़ था, वह 7.94 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹27,21,979.14 करोड़ हो गया। निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि जो 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹784.83 करोड़ थी, 5.28 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2021 को ₹743.40 करोड़ रह गई।

XII.8 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

XII.8.1 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) में एफसीए, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। भारत सरकार से (जीओआई) प्राप्त एसडीआरधारिताएं रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा होती हैं तथा इन्हें 'निवेश-विदेशी-बीडी' के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत सरकार के पास एसडीआर धारिताएं तथा आरटीपी जो आईएमएफ में विदेशी मुद्रा में भारत के कोटा अंशदान का प्रतिनिधित्व करती है, रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2020 एवं 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एफईआर की स्थिति भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर, जो हमारे एफईआर के लिए मूल्यमान मुद्रा है, में सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) में प्रस्तुत है।

सारणी XII.7 (ए): विदेशी मुद्रा भंडार (रुपया)

(₹ करोड़)

घटक	स्थिति		घट-बढ	
	30 जून 2020	31 मार्च 2021	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए)	35,17,514.26^	39,24,167.84#	4,06,653.58	11.56
स्वर्ण	2,56,020.59@	2,47,723.00*	-8,297.59	-3.24
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	10,923.25	10,863.73	-59.52	-0.54
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	34,111.66	36,198.01	2,086.35	6.12
विदेशी मुद्रा आरक्षित (एफ़ईआर)	**38,18,569.76**	**42,18,952.59**	**4,00,382.83**	**10.49**

^ : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिताएं जो ₹10,901.23 करोड़ के समतुल्य हैं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹14,067.55 करोड़ का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध करायी गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत ₹1,427.73 करोड़ भूटान को तथा मालदीव को ₹1,132.64 करोड़ का उधार।

 # : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की ₹10,847.81 करोड़ की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में ₹13,621.79 करोड़ का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को दिए गए ₹1,454.19 करोड़ उधार और मालदीव को दिए गए ₹1,827.92 करोड़ उधार।

@: इसमें से ₹1,13,145.92 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,42,874.67 करोड़ कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

** : इसमें से ₹1,04,140.13 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,43,582.87 करोड़ कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।*

सारणी XII.7 (बी): विदेशी मुद्रा भंडार (यूएसडी)

(यूएस$बिलियन)

घटक	स्थिति		घट-बढ	
	30 जून 2020	31 मार्च 2021	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए)	465.83*	536.69**	70.86	15.21
स्वर्ण	33.90	33.88	-0.02	-0.06
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1.45	1.49	0.04	2.76
आईएमएफ़ में रिज़र्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	4.52	4.92	0.40	8.85
विदेशी मुद्रा आरक्षित (एफ़ईआर)	**505.70**	**576.98**	**71.28**	**14.10**

** : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की यूएस$ 1.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में यूएस$ 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतूल्य यूएस$ 0.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार तथा मालदीव को रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस$0.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।*

***: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की यूएस$ 1.48 बिलियन अमरेकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में यूएस$ 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस$ 0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार और मालदीव को रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस$ 0.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।*

आय और व्यय का विश्लेषण

XII.9 आय

XII.9.1 रिज़र्व बैंक की आय के घटक हैं- 'ब्याज' एवं 'अन्य आय', जिसमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय (iii) कमीशन (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों से मिलने वाले प्रीमियम/ डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन से हुए लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास (vii) प्राप्त किराया (viii) रिज़र्व बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ अथवा हानि एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय की कतिपय मदें, जैसे, एलएएफ रिपो से प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रिपो और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों से हुए विनिमय लाभ/हानि निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद			घट-बढ़	
	2019-20	2020-21	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए)	35,45,043.41	39,51,919.55	4,06,876.14	11.48
औसत एफ़सीए	31,10,365.72	38,49,940.15	7,39,574.43	23.78
एफ़सीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	82,367.02	80,715.82	(-) 1,651.20	(-) 2.00
औसत एफ़सीए के प्रतिशत के रूप में एफ़सीए से अर्जन	2.65	2.10	(-) 0.55	(-) 20.75

विदेशी स्रोतों से आय

XII.9.2 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2019-20 के ₹82,367.02 करोड़ से 2.00 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹80,715.82 करोड़ रह गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2019-20 के 2.65 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में 2.10 प्रतिशत थी (सारणीXII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.9.3 घरेलू स्रोतों से होने वाली निवल आय 2019-20 के ₹67,305.44 करोड़ से 21.91 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹52,556.93 करोड़ रह गई, जिसकी मुख्य वजहें थीं- (ए) रुपया प्रतिभूतियों को धारण करने से होने वाली ब्याज आय में गिरावट और (बी) बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के अवशोषण के कारण एलएएफ/एमएसएफ के तहत ब्याज पर निवल ब्याज बहिर्गमन में वृद्धि (सारणी XII.9)।

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद			घट-बढ़	
	2019-20	2020-21	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III+IV)	**67,305.44**	**52,556.93**	**-14,748.51**	**-21.91**
I. रुपये प्रतिभूतियों और बट्टा लिखतों से अर्जन				
i) रुपये प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	70,303.70	59,824.79	-10,478.91	-14.91
ii) रुपये प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ	1,252.43	5,193.94	3,941.51	314.71
iii) रुपये प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-9.38	-8.12	1.26	-13.43
iv) रुपये प्रतिभूतियों और तेल बॉण्ड पर प्रीमियम/बट्टा का परिशोधन	1,680.95	846.48	-834.47	-49.64
v) बट्टा	734.57	964.16	229.59	31.26
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	**73,962.27**	**66,821.25**	**-7,141.02**	**-9.65**
II. एलएएफ/एमएसएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-13,052.75	-17,957.86	-4,905.11	-37.58
ii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	148.75	12.38	-136.37	-91.68
उप जोड़ (i+ii)	**-12,904.00**	**-17,945.48**	**-5,041.48**	**-39.07**
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	2,313.51	264.04	-2,049.47	-88.59
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1,174.83	1,400.63	225.80	19.22
iii) कर्मचारी	68.83	44.33	-24.50	-35.59
उप जोड़ (i+ii+iii)	**3,557.17**	**1,709.00**	**-1,848.17**	**-51.96**
IV. अन्य अर्जन				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	2,431.24	2,073.97	-357.27	-14.69
iii) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध	258.76	-101.81	-360.57	-139.35
उप जोड़ (i+ii+iii)	**2,690.00**	**1,972.16**	**-717.84**	**-26.69**

XII.9.4 *रुपया प्रतिभूतियों को धारण करने से मिलने वाला ब्याज* वर्ष 2019-20 के बारह महीने की तुलना में वर्तमान लेखा वर्ष नौ महीने का होने की वजह से 2019-20 में ₹70,303.70 करोड़ से 14.91 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹59,824.79 करोड़ रह गया।

XII.9.5 *चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज आय* 2019-20 में ₹(-)12,904 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹(-)17,945.48 करोड़ रह गई। ऐसा बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के अवशोषण के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप एलएएफ/एमएसएफ के तहत निवल ब्याज बहिर्गमन हुआ। बैंकिंग प्रणाली अधिशेष का उच्च स्तर रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणाली-स्तर की चलनिधि को बढ़ाने और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के कारण धन की कमी का सामना करने वाले विशिष्ट क्षेत्रों को चलनिधि मुहैया कराने के लिए किए गए समर्थक सक्रिय चलनिधि प्रबंधन परिचालन के कारण था।

XII.9.6 *रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर होने वाला लाभ* 2019-20 के ₹1,252.43 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹5,193.94 करोड़ हो गया जो प्रमुख रूप से 2019-20 में ₹42,111 करोड़ (अंकित मूल्य) की तुलना में 2020-21 में ₹1,84,425 करोड़ (अंकित मूल्य) के उच्च बिक्री परिचालनों के कारण हुआ था।

XII.9.7 *रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉण्ड से प्राप्त होने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन :* रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉण्ड से प्राप्त होने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट से होने वाली निवल आय 2019-20 के ₹1,680.95 करोड़ से 49.64 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹846.48 करोड़ रह गई।

XII.9.8 *घरेलू - बट्टा :* भुनाए गए लिखतों [टी-बिल तथा नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी)] की धारिता से होने वाली आय 2019-20 के ₹734.57 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹964.16 करोड़ हो गई।

XII.9.9 *ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज*

ए. *केंद्र सरकार और राज्य सरकार :*

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 2019-20 के ₹2313.51 करोड़ से 88.59 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹264.04 करोड़ रह गई। केंद्र से डब्ल्यूएमए /ओवरड्राफ्ट पर ब्याज के रूप में होने वाली आय 2019-20 के ₹2,130.51 करोड़ से 99.89 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹2.28 करोड़ रह गई और राज्यों से डब्ल्यूएमए/ओडी/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) पर प्राप्त ब्याज के रूप में होने वाली आय 2019-20 के ₹183 करोड़ से 43.04 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹261.76 करोड़ हो गयी । यह घटा हुआ निवल अर्जन 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी सुविधा का बहुत कम प्रयोग करने के कारण रहा।

बी. *बैंक और वित्तीय संस्थाएं :* बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2019-20 के ₹1,174.83 करोड़ से 19.22 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹1,400.63 करोड़ हो गया।

सी. *कर्मचारी :* कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2019-20 के ₹68.83 करोड़ से 35.59 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹44.33 करोड़ रह गया।

XII.9.10 *कमीशन :* कमीशन आय 2019-20 के ₹2,431.24 करोड़ से 14.69 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹2,073.97 करोड़ रह गई। यह मुख्य रूप से ए) बचतबॉण्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, टी-बिलों और सीएमबी समेत केंद्र और राज्य सरकारों के बकाया ऋणों की चुकौती के प्रबंधन के लिए प्राप्त कमीशन और बी) लेखा वर्ष की अवधि कम होने (2019-20 के बारह महीनों की तुलना में 2020-21 में केवल नौ महीने) के निवल प्रभाव की वजह से हुई।

XII.9.11 *प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय :* आय की इन मदों से अर्जन 2019-20 के ₹258.76 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹(-)101.81 करोड़ रह गया।

XII.10 व्यय

XII.10.1 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को करने के क्रम में एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों के मुद्रण, करेन्सी के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय के रूप मे विभिन्न प्रकार के व्यय करता है। बैंक का कुल व्यय 2019-20 के ₹92,540.93 करोड़ से 63.10 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹34,146.75 करोड़ रह गया (सारणीXII.10)।

i) ***ब्याज भुगतान***

वर्ष 2020-21 के दौरान, ब्याज के रूप में ₹1.10 करोड़ की राशि डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ की संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा की गयी।

ii) ***कर्मचारी लागत***

वर्ष 2020-21 में कुल कर्मचारी लागत 2019-20 के ₹8,928.06 करोड़ से 46.37 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹4,788.03 करोड़ रह गई। यह गिरावट 2020-21 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के रूप में रिज़र्व बैंक के व्यय में कमी एवं साथ ही चालू लेखा वर्ष नौ महीने का होने के निवल प्रभाव की वजह से थी।

iii) ***एजेंसी प्रभार/कमीशन***

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी प्रभार 2019-20 के ₹3,787.55 करोड़ से 31.06 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹2,611.05 करोड़ रह गया। ₹1,176.50 करोड़ की गिरावट की प्रमुख वजह 2019-20 की तुलना में चालू वर्ष की अवधि नौ महीने होना था। इसके अलावा, अदा किए गए एजेंसी प्रभार में आयी थोड़ी कमी की वजह रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर के साथ सरकारी प्रणालियों के एकीकरण के जरिए सरकारों द्वारा सीधे किए गए लेनदेन और साथ ही कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति के कारण सरकारी लेनदेन की संख्या पर पड़े कुछ प्रभाव हो सकते हैं।

बी. प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

रिज़र्व बैंक ने 2020-21 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों को कुल ₹642.95 करोड़ हामीदारी

सारणी XII.10: व्यय

(₹ करोड़)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.92	0.97	1.16	1.34	1.10
ii. कर्मचारी लागत	4,620.82	3,848.51	6,851.07	8,928.06	4,788.03
iii. एजेंसी प्रभार/कमीशन	4,051.77	3,903.06	3,910.21	3,876.08	3,280.06
iv. नोटों का मुद्रण	7,965.23	4,912.52	4,810.67	4,377.84	4,012.09
v. प्रावधान	13,189.62	14,189.27	63.60	73,615.00	20,710.12
vi. अन्य	1,326.57	1,422.33	1,407.44	1,742.61	1,355.35
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**31,154.93**	**28,276.66**	**17,044.15**	**92,540.93**	**34,146.75**

कमीशन का भुगतान किया जो कि 2019-20 में ₹60.90 करोड़ था। वर्ष के दौरान, विशेष रूप से सितंबर 2020-अक्टूबर 2020 में, हामीदारी कमीशन काफी बढ़ा और उसके बाद फरवरी 2021-मार्च 2021 में तेजी से बढ़ा, जो मुख्यतः बाज़ार की स्थितियों और सरकारी बाज़ार उधारियों की मात्रा में हुए इजाफे की वजह से हुआ, जो कि न्यागमन जोखिम सकल उधारियों (2019-20 में 0.51 प्रतिशत) के 9.53 प्रतिशत के अपेक्षाकृत उच्च स्तर से स्पष्ट है। 08 मई 2020 की घोषणा के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के सकल उधार का आंकड़ा ₹12,00,000 करोड़ था, जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में आई कमी को पूरा करने के लिए 15 अक्टूबर 2020 को ₹1,10,000 करोड़ की वृद्धि की गयी और 01 फरवरी 2021 को इसमें ₹80,000 करोड़ की पुन: वृद्धि की गयी। न्यागमन का अधिक उपयोग करने से सितंबर 2020-अक्टूबर 2020 तथा फरवरी 2021-मार्च 2021 के दौरान हामीदारी कमीशन में तेजी से इजाफा हुआ।

इस वर्ष के दौरान, पीडी को हामीदारी कमीशन पर सेवा कर (एसटी)/ माल और सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान को लेकर काफी समय से लंबित मुद्दे का समाधान किया गया। तदनुसार, चालू वर्ष के व्यय में बीते वर्षों की ₹159.92 करोड़ की एसटी/ जीएसटी भी शामिल है, जिसकी प्रतिपूर्ति जुलाई 2012 से नवंबर 2020 के दौरान पीडी को हामीदारी कमीशन के रूप में की गई थी, जबकि दिसंबर 2020 से पीडी को अदा किए गए सभी हामीदारी कमीशन में जीएसटी भी शामिल थी (दिसंबर 2020-मार्च 2021 के लिए जीएसटी राशि ₹56.72 करोड़ थी)।

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत / बचत बॉण्ड अभिदान के लिए बैंकों को प्रदत्त टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधार एवं उधार प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन इत्यादि शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त कमीशन 2019-20 के ₹6.26 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹6.30 करोड़ हो गया।

डी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों, दलालों आदि को अदा किया गया शुल्क

अभिरक्षा एवं दलाली सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क 2019-20 के ₹21.37 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹19.76 करोड़ हो गया।

iv) ***नोट मुद्रण***

वर्ष 2020-21 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या 2,23,301 लाख थी जो कि वर्ष 2019-20 (2,23,875 लाख) की तुलना में 0.26 प्रतिशत कम है। बैंक नोटों के मुद्रण पर किया गया व्यय वर्ष 2019-20 के ₹4,377.84 करोड़ से 8.35 प्रतिशत घटकर वर्ष 2020-21 में ₹4,012.09 करोड़ रह गया।

v) ***प्रावधान***

वर्ष 2020-21 में, सीएफ़ में अंतरण के लिए ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान किया गया।

vi) ***अन्य***

अन्य व्यय 2019-20 के ₹1,742.61 करोड़ से 22.22 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹1,355.35 करोड़ रह गया, जिसमें करेन्सी का विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखा परीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय आदि शामिल हैं।

XII.11 आकस्मिक देयताएं

XII.11.1 रिज़र्व बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹953.63 करोड़ हो गईं। इसके प्रमुख घटक बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटिलमेंट (बीआईएस) के एसडीआर में मूल्यवर्गित वे अंशत: चुकता शेयर हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक धारित करता है। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकॉल्ड लायबिलिटी) 31 मार्च 2021 को ₹924.43 करोड़ थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, तीन माह की पूर्व सूचना देकर माँगी जा सकती हैं ।

XII.12 पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.12.1 प्रकटीकरण के प्रयोजन से केवल ₹1 लाख और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय और आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹145.98 करोड़ और ₹0.31 करोड़ थे।

XII.13 पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.13.1 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित किया गया है और रुपये करोड़ (रुपये बिलियन से) में बदला गया है ताकि मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

XII.14 लेखापरीक्षक

XII.14.1 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। रिज़र्व बैंक की वर्ष 2020-21 की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी, मुंबई एवं मेसर्स जी.एम.कपाड़िया एंड कंपनी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स रे एंड रे, कोलकाता, मेसर्स सुब्रमण्यन एंड कंपनी, एलएलपी, चेन्नै तथा मेसर्स एस.के.मित्तल एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।